(3)

प्रकरण संख्या–18/17 तारीख रजु–12.09.2017

न्यायालय जिला कलक्टर, करौली

पीठासीन अधिकारी अभिमन्यु कुमार आई.ए.एस.

उनवान

1. बलराम सिंह उम्र 34 वर्ष
2. संतोष सिंह उम्र 31 वर्ष
3. वीरेन्द्र सिंह उम्र 38 वर्ष
4. मंगल सिंह उम्र 28 वर्ष

पि. प्रभुसिंह, जाति राजपूत, निवासी–नादौती, तहसील व जिला–नादौती (राज.)

– प्रार्थीगण

बनाम

1. विजयसिंह पुत्र प्रभुसिंह उम्र 50 वर्ष
2. नन्दसिंह पुत्र गुमानसिंह उम्र 49 वर्ष
3. भैरोसिंह पुत्र गुमानसिंह उम्र 45 वर्ष
4. प्रहलाद सिंह पुत्र सलेहसिंह उम्र 70 वर्ष
5. प्रभुसिंह पुत्र सलेहसिंह उम्र 80 वर्ष

सभी जाति राजपूत निवासी नादौती तहसील व जिला नादौती(राज.)

6. सरकार जरिये लैण्ड होल्डर तहसीलदार एवं सब रजिस्ट्रार तहसील नादौती जिला करौली
7. एस.डी.ओ. नादौती तहसील नादौती जिला करौली

– अप्रार्थीगण

प्रार्थना पत्र अंतर्गत धारा 24 व दफा 151 जाप्ता दीवानी बसिलसिले मुकदमा उनवानी बलरामसिंह आदि बनाम विजयसिंह आदि, न्यायालय उप जिला कलेक्टर नादौती

निर्णय

दिनांक 23.10.2017

प्रकरण के संक्षिप्त में तथ्य इस प्रकार हैं कि प्रार्थी/वादी ने एक दावा घोषणा खातेदारी, इन्द्राज दुरुस्ती, भूमि विभाजन व स्थाई निषेधाज्ञा नम्बरी 59/17, न्यायालय श्रीमान् एस.डी.ओ. साहब नादौती के समक्ष प्रतिवादीगण के विरुद्ध पेश किया व साथ में एक प्रार्थना पत्र अस्थाई निषेधाज्ञा नम्बरी 49/17 पेश किया जो वास्ते जबाव व बहस प्रार्थना पत्र दिनांक 15.09.17 को नियत है। प्रतिवादी संख्या–1 विजयसिंह पुत्र प्रभुसिंह ने पीठासीन अधिकारी से सांठ गांठ कर ली है और खुलेआम एलानियां धमकी दे रहा है कि आगामी पेशी 15.09.2017 को मैं तुम्हारी (वादी की) अस्थाई निषेधाज्ञा को खारिज करवा दूंगा। श्रीमान् एस.डी.ओ. साहब नादौती के आश्वासन पर गैरसायलान के हौंसले बुलन्द हैं। वो वादी/प्रार्थी को पीठासीन अधिकारी से साज कर हानि पहुंचाने की फिराक में है। प्रार्थी को न्यायालय एस.डी.ओ. साहब नादौती से न्याय प्राप्ति की कोई उम्मीद नहीं है क्योंकि पीठासीन अधिकारी ने गैरसायलान से साज कर लिया है। अंत में उक्त उनवानी प्रकरणों को अन्य सक्षम न्यायालय में स्थानांतरित करने का निवेदन किया है।

जिला कलेक्टर
करौली

प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थीगण को जरिये सम्मन नोटिस तलब किया गया। अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली तलब की जाकर शामिल पत्रावली की गई।

अप्रार्थी नं. 1 ने प्रकरण में जबाव पेश कर निवेदन किया है कि तथ्य नितांत झुठे मनगढन्त एवं काल्पनिक होने से स्वीकार नहीं हैं। महज मामले के निष्तारण में विलम्ब करने के उद्देश्य से प्रार्थीगण द्वारा यह प्रार्थना पत्र पेश किया गया है जबकि वादग्रस्त भूमि से प्रार्थीगण द्वारा कोई ताल्लुक वास्ता नहीं है। माननीय अधीनस्थ न्यायालय को गुमराह कर उनके द्वारा एकपक्षीय अस्थाई निषेधाज्ञा आदेश प्राप्त कर लिया है जिसे वो येन केन प्रकारेण यथावत रखना चाहते हैं। उसी कुत्सित उद्देश्य की पूर्ति हेतु यह प्रार्थना पत्र पेश किया गया है। उक्त धाराओं मे प्रस्तुत न्यायालय को प्रस्तुत प्रार्थना पत्र निस्तारण का क्षेत्राधिकार नहीं है क्योंकि धारा 24 जाप्ता दीवानी में अंतर्गत की शक्तियां केवल और केवल उच्च न्यायालय या जिला न्यायाधीश को ही है श्रीमान् न्यायालय को नहीं। इसलिये सरसरी तौर प्रस्तुत प्रार्थना पत्र निरस्त होने योग्य है। सी.पी.सी. के प्रावधानों के अनुसार एक पक्षीय स्थगन का आदेश 39 नियम 3 के उपनियम 4 जा.दी. के अनुशरण में एक माह के अंदर गुणदोष पर निस्तारण किया जाना आवश्यक है जबकि अप्रार्थी द्वारा माननीय अधीनस्थ न्यायालय में प्रार्थीगण द्वारा पेश अस्थाई निषेधाज्ञा प्रार्थना पत्र का जबाव पेश कर दिया गया है जिसमें पत्रावली वास्ते बहस नियत थी। बहस को विलम्बित करने के लिए प्रस्तुत प्रार्थना पत्र गलत आधारों पर प्रस्तुत किया गया है जो निरस्त होने योग्य है। अप्रार्थी प्रकरण का मात्र गुणदोष पर त्वरित निस्तारण चाहता है। उसे पीठासीन अधिकारी कौन हो, उसमें कोई रुचि नहीं। अगर श्रीमान् उचित समझे तो कहीं भी समय सीमा में निस्तारित करने के निर्देश के साथ संबंधित पत्रावली अस्थाई निषेधाज्ञा अग्रेषित कर दें। अंत में प्रार्थना पत्र को खारिज किये जाने का निवेदन किया है।

शेष अप्रार्थीगण बावजूद सूचना अनुपस्थित रहे।

बहस उभय पक्ष सुनी गई। पत्रावली का अवलोकन किया गया।

वकील प्रार्थी का बहस में कथन है कि प्रार्थीगण ने एक दावा घोषणा खातेदारी, इन्द्राज दुरुस्ती, भूमि विभाजन व स्थाई निषेधाज्ञा नम्बरी 59/17 व साथ में एक प्रार्थना पत्र अस्थाई निषेधाज्ञा नम्बरी 49/17 न्यायालय श्रीमान् एस.डी.ओ. साहब नादौती के समक्ष प्रतिवादीगण के विरुद्ध पेश किया पेश किया। प्रतिवादी संख्या–1 विजयसिंह पुत्र प्रभुसिंह ने पीठासीन अधिकारी से सांठ गांठ कर ली है और खुलेआम एलानियां धमकी दे रहा है कि आगामी पेशी पर वह, तुम्हारी (प्रार्थी की) अस्थाई निषेधाज्ञा को खारिज करवा देगा। वो प्रार्थी को पीठासीन अधिकारी से साज कर हानि पहुंचाने की फिराक में है। प्रार्थीगण को न्यायालय एस.डी.ओ. साहब नादौती से न्याय प्राप्ति की कोई उम्मीद नहीं है क्योंकि पीठासीन अधिकारी ने गैरसायलान से साज कर लिया है। अंत में उक्त उनवानी प्रकरणों को अन्य सक्षम न्यायालय में स्थानांतरित करने का कथन किया है।

जिला कलेक्टर
कोटा

5

तारीख रजु–12.09.2017

वकील अप्रार्थी नं. 1 का बहस में कथन है कि तथ्य नितांत झूठे मनगढन्त एवं काल्पनिक होनें से स्वीकार नहीं हैं। महज मामले के निष्तारण में विलम्ब करने के उद्देश्य से प्रार्थीगण द्वारा यह प्रार्थना पत्र पेश किया गया है जबकि वादग्रस्त भूमि से प्रार्थीगण द्वारा कोई ताल्लुक वास्ता नहीं है। माननीय अधीनस्थ न्यायालय को गुमराह कर उनके द्वारा एकपक्षीय अस्थाई निषेधाज्ञा आदेश प्राप्त कर लिया है जिसे वो येन केन प्रकारेन यथाक्त रखना चाहते हैं। उसी कुत्सित उद्देश्य की पूर्ति हेतु यह प्रार्थना पत्र पेश किया गया है। उक्त धाराओं मे प्रस्तुत न्यायालय को प्रस्तुत प्रार्थना पत्र निस्तारण का क्षेत्राधिकार नहीं है क्योंकि धारा 24 जाप्ता दीवानी में अंतर्गत की शक्तियां केवल और केवल उच्च न्यायालय या जिला न्यायाधीश को ही है श्रीमान् न्यायालय को नहीं। इसलिये सरसरी तौर प्रस्तुत प्रार्थना पत्र निरस्त होने योग्य है। सी.पी.सी. के प्रावधानों के अनुसार एक पक्षीय स्थगन का आदेश 39 नियम 3 के उपनियम 4 जा.दी. के अनुशरण में एक माह के अंदर गुणदोष पर निस्तारण किया जाना आवश्यक है जबकि अप्रार्थी द्वारा माननीय अधीनस्थ न्यायालय में प्रार्थीगण द्वारा पेश अस्थाई निषेधाज्ञा प्रार्थना पत्र का जबाव पेश कर दिया गया है जिसमें पत्रावली वास्ते बहस नियत थी। बहस को विलम्बित करने के लिए प्रस्तुत प्रार्थना पत्र गलत आधारों पर प्रस्तुत किया गया है जो निरस्त होने योग्य है। अप्रार्थी प्रकरण का मात्र गुणदोष पर त्वरित निस्तारण चाहता है। उसे पीठासीन अधिकारी कौन हो, उसमें कोई रुचि नहीं। अगर श्रीमान् उचित समझे तो कहीं भी समय सीमा में निस्तारित करने के निर्देश के साथ संबंधित पत्रावली अस्थाई निषेधाज्ञा अग्रेषित कर दें। अंत में प्रार्थना पत्र को खारिज किये जाने का कथन किया है।

बहस उभयपक्ष एवं पत्रावली का मनन किया गया। प्रार्थीगण द्वारा उपखण्ड अधिकारी, नादौती पर लगाये गये आरोपों के संबंध में कोई साक्ष्य पेश नहीं किया है। प्रार्थी द्वारा लिये गये एकपक्षीय स्थगन को जारी रखने एवं प्रकरण में विलम्ब किये जाने के उद्देश्य से यह प्रकरण प्रस्तुत करना प्रतीत होता है। एक पक्षीय स्थगन का निर्धारित समयावधि में गुणावगुण के आधार पर निस्तारण किया जाना आवश्यक है। अतः प्रार्थना पत्र चलने योग्य नहीं है।

अतः प्रार्थना पत्र प्रार्थी खारिज किया जाता है। उपखण्ड अधिकारी, नादौती को आदेशित किया जाता है कि प्रकरण में नियमानुसार सुनवाई करके शीघ्र ही प्रकरण का निस्तारण करें। निर्णय की प्रति अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली के साथ भिजवाई जावे। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम होकर दाखिल दफ्तर हो।

निर्णय आज दिनांक 23.10.2017 को सरे इजलास लिखाया जाकर सुनाया गया।

(अभिमन्यु कुमार)
जिला कलक्टर
करौली

सेवामें प्रार्थना पत्र बावत